

प्रारूप क्रमांक एक
(नियम 3 देखिए)

सोसाइटीयों के रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसाइटी का ज्ञापन

- 1 सोसाइटी का नाम - होगा।
- 2 सोसाइटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक मोहल्ला
 तहसील ज़िला
 में स्थित होगा तथा इसका पता होगा।
- 3 सोसाइटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (5)
- 4 सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद, समिति या शासी निकाय को सौंपा गया हैं, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं:-

अनुक्रमांक (1)	पिता/ पति के नाम के साथ नाम (2)	पद (3)	पूर्ण पता (4)	उपजीविका (5)
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				
(6)				
(7)				

- 5 मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति इस संगम ज्ञापन के साथ फाईल की गई है।

हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम व पते नीचे दिए गए हैं, उपरोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाए गए अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं :-

अनुक्रमांक (1)	हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पिता/ पति के नाम सहित (2)	पूरा पता (3)	हस्ताक्षर (4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

- 6 हम निम्नानुसार पदाधिकारी/ सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक को सोसाइटी की उप विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

(अध्यक्ष)

(सचिव)

(कोषाध्यक्ष/सदस्य)

दिनांक

साक्षी

हस्ताक्षर

.....

नाम-

.....

पिता/ पति का नाम

पूरा पता-

.....